रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

(120)



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 72] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 1985/ फाल्गुन 2, 1906
No. 72] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 1985/PHALGUNA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1985

का. आ. 99 (अ).- केन्द्रीय सरकार, दादर और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई द्यूत निवारण अधिनियम, 1887 (1887 का मुम्बई अधिनियम संख्यांक (4) को संघ राज्य क्षेत्र दादर और नागर हवेली पर जैसा वह इस अधिसूचना की तारीख को गुजरात राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन विस्तारित करती है, अर्थात:—

उपान्तरण

1. धारा 1 में,—

(क) दूसरे पैरा में "गुजरात राज्य" शब्दों के स्थान पर "दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतः स्थापित किया जाएगा; अर्थात:—

"प्रारम्भ—यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए।"

2. धारा 3 में,—

(क) आरम्भ में निम्नलिखित पैरा अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"प्रशासक—इस अधिनियम में "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है";

(ख) विद्यमान पहले पैरा के खण्ड (ख) में, "मुम्बई रेस कोर्स अनुज्ञापन अधिनियम, 1912 (1912 का मुम्बई अधिनियम सं. 3) की धारा 4 के अधीन" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

3. धारा 5 क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— "5क—जहां ऐसे पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, यह राय है कि कोई रजिस्टर, अभिलेख या किसी भी प्रकार की लिखावट जिसमें वर्ती सटका जुआ या किसी अन्य प्रकार के जुआ से संबंधित अंक या संख्या या अंक और संख्याओं का समायोजन है, तो वह उनका अभिग्रहण करने का हकदार होगा और ऐसा रजिस्टर अभिलेख या लिखावट तब तक जुआ की लिखत समझे जाएंगे जब तक कि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे इसे अभिगृहित किया गया है, यह दर्शित नहीं करता है कि ऐसा रजिस्टर, अभिलेख या लिखावट किसी विधिमान्य व्यापार, उद्योग, कारबार, वृत्ति या व्यावसाय से संबंधित किसी सव्यवहार का है या किसी व्यक्ति के किसी विधिमान्य वैयक्तिक संव्यवहार का है या, वह अन्यथा जुआ की कोई लिखत नहीं है।"

4. धारा 6 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक मामले में किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रशासक द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किये गए किसी प्रथम

वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए विशेष वारंट द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के लिए, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, यह विधिमान्य होगा कि वह—

(क) किसी ऐसे गृह कमरा या स्थान में, जिसके बारे में उसे संदेह का कारण हो कि वह सामान्य जुआ घर के रूप में प्रयुक्त होता है, उतने व्यक्तियों की सहायता से जितने आवश्यक हों, रात्रि में या दिन में, और यदि आवश्यक हों तो बलपूर्वक प्रवेश करें ;

(ख) उस गृह, कमरे या स्थान के सब भागों को जिसमें उसने इस प्रकार प्रवेश किया है, तब जब उसे संदेह का कारण हो कि उस गृह में जुआ खेलने के कोई उपकरण छिपाए गए हैं, और उन सब व्यक्तियों की भी जो उसे उस गृह में मिलें, चाहे ऐसे व्यक्ति वास्तव में जुआ खेल रहे हों या नहीं, तलाशी लें;

(ग) ऐसे सभी व्यक्तियों को अभिरक्षा में लें और किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें ;

(घ) ऐसी सभी वस्तुओं का, जिनके बारे में यह युक्तियुक्त संदेह है कि उनका प्रयोग जुआ खेलने में किया गया है या प्रयोग करने के लिए आशयित हैं और जो वहां पाई गई हो, अभिग्रहण करें ;

परन्तु जब तक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक का ऐसी जांच करने पर जैसी कि वह आवश्यक समझता है यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह संदेह करने के उचित आधार हैं कि उक्त गृह, कमरे या स्थान का उपयोग सामान्य जुआघर के रूप में किया जाता है तब तक वह किसी अधिकारी को विशेष वारंट द्वारा प्राधिकृत नहीं करेगा।"

5. धारा 14 का लोप किया जाएगा।

उपबंध

दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित, गुजरात राज्य में यथा प्रवृत्त मुम्बई द्यूत निवारण अधिनियम, 1887।

(1887 का मम्बई अधिनियम सं. 4)

मुम्बई राज्य में द्यूत का निवारण करने के लिए विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना :—मुम्बई राज्य में द्यूत का निवारण करने के लिए विधि को समेकित और संशोधित करना समीचीन है, निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम :—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुम्बई द्यूत निवारण अधिनियम, 1887 है।

विस्तार :—इसका विस्तार सम्पूर्ण दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर है।

प्रारम्भ :—यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2. (अधिनियमितियों का निरसन) 1895 का निरसन अधिनियम सं. 16।

3. प्रशासक की परिभाषा :—इस अधिनियम में "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

"जुआ" की परिभाषा :—इस अधिनियम में "जुआ" में पंचम् या दाव लगाना सम्मिलित है किन्तु घुड़ दौड़ पर पंचम् या दाव लगाना उस दशा में छोड़कर, जब ऐसा पंचम् या दाव लगाना

(क) उस दिन होता है जब ऐसी दौड़ होनी है, और

(ख) एक ऐसे अहाते में होता है जिसको उस रेस कोर्स के अनुज्ञप्तिधारी ने, जिस पर ऐसी दौड़ होनी है, ऐसे रेसकोर्स की बाबत जारी की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अधीन उस प्रयोजन के लिए अलग कर दिया है, और

(ग) एक और स्वयं किसी व्यक्ति, जो उस अहाते में उपस्थित है और दूसरी ओर पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अनुसार ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्त अन्य व्यक्ति के बीच होता है या कितने ही व्यक्तियों के बीच ऐसी रीति और ऐसी युक्ति से होता है जो ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा अनुज्ञात हो; किन्तु इसमें लाटरी सम्मिलित नहीं है।

किसी ऐसे संव्यवहार को जिसके द्वारा किसी भी हैसियत में कोई व्यक्ति किसी भी हैसियत में किसी अन्य व्यक्ति को नियोजित करता है या किसी भी हैसियत में किसी दूसरे व्यक्ति को चाहे अनुज्ञप्तिधारी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ पंचम् या दाव लगाने के लिए नियोजित करता है, जुआ समझा जाएगा;

परन्तु, ऐसा होने पर भी ऐसा अनुज्ञप्तिधारी सेवक नियोजित कर सकेगा, और व्यक्ति ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के पास सेवा स्वीकार कर सकेंगे, या ऐसी रीति या ऐसी युक्ति से पंचम या दाव लगाया जा सकेगा जो ऐसी अनुज्ञप्ति में अनुज्ञात हो। दाव का संग्रहण या उसकी याचना, पंचम या दाव लगाने या किसी अन्य कार्य की बाबत धन के रूप में या अन्यथा जीत या इनाम की प्राप्ति या वितरण जिसका आशय पंचम या दाव लगाने या ऐसे संग्रहण, याचना, प्राप्ति या वितरण की सहायता करना या सुकर बनाना है, "जुआ" समझा जाएगा।

"जुआ खेलने के उपकरण" की परिभाषा :—इस अधिनियम में "जुआ खेलने के उपकरण" पद में जुआ खेलने के विषय या साधन के रूप में उपयोग की गई या उपयोग की जाने के लिए आशयित वस्तु, किसी जुआ के रजिस्टर या अभिलेख या साक्ष्य के रूप में उपयोग किया गया या किसी जुआ के आगम, और किसी जुआ की बाबत वितरित या वितरित किए जाने के लिए आशयित धन के रूप में या अन्यथा जीत या इनाम दिए जाने के लिए आशयित कोई दस्तावेज सम्मिलित है।

इस अधिनियम में "सामान्य जुआ घर" से—

(i) "सामान्य जुआ घर" की परिभाषा :—(क) रुई, अफीम या अन्य वस्तु की बाजार कीमत पर या ऐसी कीमत का कथन करने में प्रयुक्त संख्यांकों पर, या

(ख) किसी ऐसी वस्तु की बाजार कीमत में परिवर्तन की रकम पर या ऐसे परिवर्तन की रकम का कथन करने में प्रयुक्त संख्यांकों पर, या

(ग) किसी स्टाक या शेयर की बाजार कीमत पर या ऐसी कीमत का कथन करने में प्रयुक्त संख्यांकों पर, या

(घ) वर्षा या अन्य प्राकृतिक घटना के घटित होने या घटित न होने पर, या

(ङ) वर्षा की मात्रा पर या ऐसी मात्रा का कथन करने में प्रयुक्त संख्यांकों पर, या

(च) बोली मटका जुआ या किसी अन्य प्रकार के जुआ के लिए या उसके संबंध में घोषित प्रारंभिक, मध्य या अंतिम डिजिट या अंक का कथन करने में प्रयुक्त डिजिट या अंकों पर, जुआ की दशा में, --

कोई घर, कमरा या किसी भी प्रकार का स्थान अभिप्रेत है जिसमें ऐसा जुआ होता है या जिसमें जुआ खेलने के उपकरण रखे जाते हैं या ऐसा जुआ खेलने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है ;

(ii) जुआ के किसी अन्य रूप की दशा में कोई ऐसा घर, कमरा या किसी भी प्रकार का स्थान अभिप्रेत है जिसमें जुआ खेलने के कोई उपकरण, उस व्यक्ति के जो ऐसे घर, कमरा या स्थान का स्वामी, अधिभोगी उपयोगकर्ता या देखभाल करने वाला है, लाभ या अभिलाभ के लिए ऐसे घर, कमरा या स्थान या उपकरण के उपयोग के लिए प्रभार के तौर पर या अन्यथा रखे जाते हैं या जिसका उपयोग किया जाता है।

"स्थान" की परिभाषा :—इस अधिनियम में "स्थान" में तम्बू, अहाता, खाली स्थान, यान ज्यान सम्मिलित है।

3क.—बोली मटका या अन्य प्रकार के जुआ से संबंधित डिजिट या अंकों का मुद्रण करने या प्रकाशन करने के लिए दण्ड :—(1) कोई भी व्यक्ति जो "शुभ राशि" शीर्षक के अधीन या कोई अन्य रूप या युक्ति अपनाकर बोली मटका या किसी अन्य प्रकार के जुए से संबंधित कोई डिजिट या अंक या डिजिट या अंकों के समुच्चय का किसी भी रीति से मुद्रण या प्रकाशन करता है या ऐसे डिजिट या अंकों या डिजिट या अंकों के समुच्चय से संबंधित जानकारी का प्रसार करता है या प्रसार करने का प्रयत्न करता है या प्रसारण का दुष्प्रेरण करता है, ऐसे कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां ऐसे किन्हीं डिजिट या अंकों या डिजिट या अंकों के समुच्चय, जिसकी बाबत अपराध किए जाने का अभिकथन किया गया है के बारे में बोली मटका जुआ या किसी अन्य प्रकार के जुआ से संबंधित होने की उपधारणा तब तक की जाएगी जब तक कि अभियुक्त द्वारा इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए।

4. सामान्य जुआ घर चलाना :—वह व्यक्ति जो —

(क) सामान्य जुआ घर के प्रयोजनार्थ कोई घर के कमरा या स्थान खोलता है, चलाता है या उसका उपयोग करता है,

(ख) किसी ऐसे घर, कमरा या स्थान का स्वामी या अधिभोगी होते हुए, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे खोले जाने, उसका अधिभोग किए जाने, उसे चलाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए जानते हुए या जानबूझकर अनुज्ञा देता है,

(ग) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए खोले गए, अधिभोग किए गए, चलाए गए या उपयोग किए गए किसी ऐसे घर, कमरे या स्थान की देखभाल या प्रबंध करता है या किसी रीति से भी उसके कारबार का संचालन करता है,

(घ) किसी ऐसे घर, कमरे या स्थान में नित्य जाने वाले व्यक्तियों को जुआ खेलने के प्रयोजनार्थ धन उधार देता है या प्रदान करता है,

दोषसिद्धि पर ऐसे कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डनीय होगा :

परन्तु —

(क) प्रथम अपराध के लिए ऐसा कारावास एक मास से कम का और जुर्माना दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा ;

(ख) दूसरे अपराध के लिए ऐसा कारावास तीन मास से कम का और जुर्माना दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा ; और

(ग) तीसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसा कारावास छह मास से कम का और जुर्माना दो सौ रुपए से कम का नहीं होगा।

5. सामान्य जुआ घर में जुआ खेलना :—वह व्यक्ति जो सामान्य जुआ घर में जुआ खेलता हुआ या जुआ खेलने के प्रयोजनार्थ उपस्थित पाया जाएगा दोषसिद्धि पर कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डनीय होगा :

परन्तु —

(क) प्रथम अपराध के लिए ऐसा कारावास एक मास से कम का और जुर्माना दो सौ रुपए से कम का नहीं होगा;

(ख) दूसरे अपराध के लिए ऐसा कारावास तीन मास से कम का और जुर्माना दो सौ रुपए से कम का नहीं होगा; और

(ग) तीसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसा कारावास छह मास से कम का और जुर्माना दो सौ रुपए से कम का नहीं होगा।

सामान्य जुआ घर में जुआ खेलने के दौरान उसमें पाए गए किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा तब तक की जाएगी कि वह जुआ खेलने के प्रयोजनार्थ वहां था, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए।

5क. कतिपय पुलिस अधिकारियों द्वारा रजिस्टर, अभिलेख या लेख का अभिग्रहण आदि :—

किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, यह राय हो कि कोई रजिस्टर, अभिलेख या किसी भी प्रकार का लेख जिसमें डिजिट या अंक या डिजिटों और अंकों का समुच्चय अन्तर्विष्ट है बोली मटका जुआ या किसी अन्य प्रकार के जुआ से संबंधित है उसे उनका अभिग्रहण करने का हक होगा, और ऐसे रजिस्टर, अभिलेख या लेख को जुआ खेलने के उपकरण, के रूप में तब तक उपधारणा की जाएगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति जिससे उसे अभिग्रहित किया गया है, यह दर्शित नहीं करता कि ऐसा रजिस्टर, अभिलेख या लेख किसी विधिपूर्ण व्यापार, उद्योग, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय से संबंधित किसी संव्यवहार का है या किसी व्यक्ति के किसी विधिपूर्ण व्यक्तिगत संव्यवहार का है या वह अन्यथा जुआ खेलने का कोई उपकरण नहीं है।

6. जुआ होने की दशा में पुलिस अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी आदि :—(1) जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा या इस निमित्त प्रशासक द्वारा विशेष रूप से सशक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक मामले में जारी किए गए विशेष वारण्ट द्वारा प्राधिकृत पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून पुलिस अधिकारी के लिए —

(क) ऐसे व्यक्तियों की सहायता से जैसी आवश्यक समझी जाए, दिन या रात में और यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक किसी ऐसे घर, कमरा या स्थान में प्रवेश करना जिसके बारे में उसे संदेह करने का कारण है कि उसका सामान्य जुआ घर के रूप में उपयोग किया जाता है,

India.gov

(ख) उस घर, कमरा या स्थान के सभी भागों की जिसमें उसने इस प्रकार प्रवेश किया है, जब उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि उसमें जुआ खेलने का कोई उपकरण छुपाया गया है और उन व्यक्तियों की भी तलाशी करना जिन्हें वह वहां पाएगा, चाहे ऐसे व्यक्ति उस समय वास्तव में जुआ खेल रहे हों या नहीं,

(ग) ऐसी सभी व्यक्तियों को अभिरक्षा में लेना और उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष लाना,

(घ) उन सभी वस्तुओं की अभिगृहीत करना जिनके बारे में यह संदेह है कि उनका उपयोग जुआ खेलने के प्रयोजनार्थ किया गया है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है और जो वहां पाए जाते हैं,

विधिपूर्ण होगा :

परन्तु यह कि किसी भी अधिकारी को विशेष वारण्ट द्वारा तब तक प्राधिकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि उक्त घर, कमरा या स्थान के बारे में सामान्य जुआ घर होने का संदेह करने के पर्याप्त आधार हैं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन की गई किसी तलाशी को केवल इस तथ्य के कारण अवैध नहीं समझा जाएगा कि तलाशी के साक्षी (यदि कोई हों) उस इलाके के निवासी नहीं थे जिसमें तलाशी लिया गया घर, कमरा या स्थान स्थित है।

6क. मिथ्या नाम और पते देने के लिए दण्ड :—यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा प्रवेश किए गए किसी सामान्य जुआ घर में पाया गया कोई व्यक्ति, ऐसे किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने पर, ऐसे किसी अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपना नाम और पता देने की अपेक्षा किए जाने पर, उसे देने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है या कोई मिथ्या नाम या पता देता है तो उसे दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा और ऐसे जुर्माने के संदाय न किए जाने पर या प्रथम बार यदि दण्डादेश पारित करने वाला न्यायालय ठीक समझे तो, उसे कारावास से जो चार मास से अधिक अवधि का नहीं होगा दण्डित किया जाएगा।

7. सामान्य जुआ घर चलाने या उसमें जुआ खेलने का उपधारणात्मक सबूत:—जब किसी ऐसे घर, कमरे या स्थान से जिसमें धारा 6 के अधीन प्रवेश किया गया है जुआ खेलने का कोई उपकरण अभिगृहीत किया गया है तब या उसमें पाए गए किसी व्यक्ति के बारे में और इस प्रकार अभिगृहीत किसी अन्य वस्तु की दशा में यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उस पुलिस अधिकारी को जिसने ऐसे घर, कमरे या स्थान में प्रवेश किया था यह संदेह करने के युक्तियुक्त आधार थे कि इस प्रकार अभिगृहीत वस्तु जुआ खेलने का उपकरण है तो उस उपकरण या वस्तु का अभिगृहण इस बात का साक्ष्य होगा, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए कि ऐसे घर, कमरे या स्थान का सामान्य जुआ घर के रूप में उपयोग किया जाता है और उसमें पाए गए व्यक्ति, जुआ खेलने के प्रयोजनार्थ उस समय उपस्थित थे, यद्यपि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी या उनमें से किसी के प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा वास्तव में जुआ खेलते हुए नहीं देखा गया:

परन्तु पूर्वोक्त उपधारणा, उस वारण्ट या आदेश में किसी त्रुटि के होते हुए भी की जाएगी जिसके अनुसरण में उस घर, कमरे या स्थान में धारा 6 के अधीन प्रवेश किया गया था, यदि न्यायालय त्रुटि को तात्विक नहीं समझे।

8. सामान्य जुआ घर चलाने या उसमें जुआ खेलने के लिए दोषसिद्धि पर, जुआ खेलने के उपकरणों का नष्ट किया जाना:—किसी व्यक्ति के किसी सामान्य जुआ घर चलाने, चलाने या उसका उपयोग करने, या उसमें जुआ खेलने, या जुआ खेलने के प्रयोजनार्थ उपस्थित होने के लिए दोषसिद्धि पर, सिद्धदोष ठहराने वाला मजिस्ट्रेट उसमें या उस स्थान में पाए गए व्यक्तियों के पास पाए गए जुआ खेलने के सब उपकरणों को तुरंत नष्ट करने या समपहृत करने का आदेश दे सकेगा और धन के लिए सब प्रतिभूतियों का और अभिगृहीत की गई ऐसी अन्य वस्तुओं का जो जुआ खेलने के उपकरण नहीं है, विक्रय करने और उसके आगम का वहां अभिगृहीत सब धन सहित, समपहरण का भी आदेश दे सकेगा, अथवा स्वविवेकानुसार यह आदेश दे सकेगा कि ऐसे आगम और अन्य धन का कोई भाग उस व्यक्ति को संदत्त कर दिया जाए जो उसका हकदार प्रतीत हो।

9. धन के लिए खेलने का समूह दोषसिद्धि के लिए अपेक्षित नहीं:—धारा 4 और 5 के किन्हीं उपबंधों के विरुद्ध किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं होगा कि जुआ खेलता हुआ पाया गया कोई व्यक्ति किसी धन, पठ्ठयम् या दांव के लिए रहा था।

10. कतिपय साक्षियों को परित्राण देना :—कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रतिकूल जुआ खेलने [illegible] धित रहा है, और जिसके जुआ खेलने से संबंधित इस अधिनियम [illegible] न्हीं उपबंधों को भंग करने के लिए किसी व्यक्ति के विचारण में मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्षी के रूप में परीक्षा ली गई है, और जो ऐसी परीक्षा पर, मजिस्ट्रेट का यह समाधान कर देता है कि उसने उस बारे में जिसके बाबत उसकी इस प्रकार परीक्षा ली जाती है अपने सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही-सही और यथार्थ रूप से प्रकट करता है, उक्त मजिस्ट्रेट से उस आशय का एक लिखित प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसे जुआ के बाबत उस समय के पूर्व किए गए किसी भी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन सभी अभियोजनों से मुक्त हो जाएगा।

12. सार्वजनिक सड़कों पर जुआ खेलने और पक्षियों तथा पशुओं को लड़ाने के लिए बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति :—पुलिस अधिकार —

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को किसी सार्वजनिक सड़क या आम रास्ते या किसी ऐसे स्थान पर जहां जनता की पहुंच है या उन्हें पहुंचने के लिए अनुज्ञात है या किसी रेसकोर्स में जुआ खेलता हुआ पाया जाए या जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से जुआ खेलने का संदेह किया जाए;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी सार्वजनिक सड़क या आम रास्ते या किसी ऐसे स्थान पर जहां जनता की पहुंच है या उन्हें पहुंचाने के लिए अनुज्ञात है, किसी पक्षी या पशु को लड़ाता है;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को जो वहां उपस्थित है, पक्षियों और पशुओं के सार्वजनिक लड़ाई में सहायता करता है और दुष्प्रेरित करता है,

बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा। कोई ऐसा व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो तीन सौ रुपए तक का हो सकेगा और ऐसे कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जहां ऐसा जुआ या पठ्ठम् या दांव लगाना, किसी ऐसे संव्यवहार से गठित होता है जो धारा 3 में दी गई जूए की परिभाषा में निर्दिष्ट है वहां इस प्रकार जुआ खेलते हुए पाया गया कोई व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, धारा 4 में निर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक दण्डनीय होगा और ऐसे व्यक्ति के पास पाया गया सब धन समपहृत हो जाएगा।

पाए गए उपकरण का अभिग्रहण और उनको नष्ट करना :—और ऐसा पुलिस अधिकारी, ऐसे सार्वजनिक सड़क, आम रास्ते, स्थान पर या रेसकोर्स में या उन व्यक्तियों से या उसके पास से जिन्हें वह इस प्रकार गिरफ्तार करेगा, पाई गई सब पक्षियों और पशुओं तथा वस्तुओं के जिनके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह संदेह किया जाता है कि वे जुआ खेलने के उपकरण हैं, अभिग्रहण कर सकेगा और मजिस्ट्रेट, अपराधी को दोषसिद्धि

पर ऐसे उपकरणों को तुरन्त नष्ट करने तथा ऐसी पक्षियों और ऐसे पशुओं का विक्रय कर देने और उसके आगम को समपहृत करने का आदेश दे सकेगा। जब किसी व्यक्ति से या उसके पास से कोई चल प्राप्त की जाती है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि पुलिस अधिकारी को यह संदेह करने के युक्तियुक्त आधार थे कि ऐसी वस्तु जुआ खेलने का उपकरण थी तो ऐसी परिस्थिति, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दी जाए, इस बात का साक्ष्य होगी कि ऐसी वस्तु जुआ खेलने का उपकरण थी और वह व्यक्ति जिससे या जिसके पास से वह वस्तु पायी गई थी, जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए उपस्थित था।

12क. किसी समाचार या जानकारी का मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के लिए बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति :—कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा जो कोई ऐसा समाचार पत्र, समाचार पर्ची या अन्य दस्तावेज या कोई समाचार या जानकारी, जुआ खेलने में सहायता देने या उसको सुकर बनाने के आशय से मुद्रण, प्रकाशन, विक्रय, वितरण या किसी अन्य रीति से परिचालित करती है।

ऐसा कोई व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, धारा 4 में निर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक दण्डनीय होगा।

और कोई पुलिस अधिकारी अभिग्रहण करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा इस धारा के अधीन कोई अपराध करने के प्रयोजनार्थ युक्तियुक्त रूप से उपयोग किए जाने के लिए संदेह की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित सभी वस्तुओं का अभिग्रहण कर सकेगा।

13. केवल कौशल के खेलों का व्यावृत्ति :— इस अधिनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह कहीं भी खेले गए केवल कौशल के किसी खेल को लागू होती है।

[सं. गृ० 11015/7/73-यू टी एल (164)]
एच. बी. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 1985

S.O. 99(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Bombay Prevention of Gambling Act, 1887 (Bombay Act No. 4 of 1887), as in force in the State of Gujarat on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In section 1, —

(a) in the second paragraph, for the words "State of Gujarat"', the words "Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted ;

(b) after the second paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"Commencement.—It shall come into froce on such date as the Administrator may, by notification in the Official Gazette, appoint in his behalf.".

2. In section 3, —

(a) the following paragraph shall be inserted at the beginning, namely :—

" "Administrators" defined. In this Act "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution.";

(b) in the existing first paragraph, in clause (b), the words and figures "under section 4 of the Bombay Race Courses Licensing Act, 1912, (Bombay 3 of 1912)," shall be omitted.

3. For section 5A the following shall be substituted namely :—

"5A. Where a police officer not below the rank of a Deputy Superintendent of Police is of the opinion that any register, record or writing of any kind whatsoever which contains digits or figures or combination of digits or figures relates to Worli Matka gaming or some other form of gaming, he shall be entitled to seize the same, and such register, record or writing shall be presumed to be an instrument of gaming unless it is shown by the person from whom it is seized that it is a register, record or writing of any transaction in connection with a lawful trade, industry, business, profession or vocation or of any lawful personal transaction of any person or it is otherwise not an instrument of gaming.".

4. In section 6, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) It shall be lawful for a Police Officer not below the rank of a Sub-Inspector of Police authorised by special warrant issued in each case by a District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or by a First Class Magistrate specially empowered by the Administrator in this behalf or by a District Superintendent of Police.

(a) to enter, with the assistance of such persons as may be found necessary, by night or by day, and by force, if necessary, any house, room or place which he has reason to suspect is used as a common gaming-house,

(b) to search all parts of the house, room or place which he shall have so entered, when he shall have reason to suspect that any instruments of gaming are concealed therein, and also the persons whom he shall find therein whether such persons are then actually gaming or not,

(c) to take into custody and bring before a Magistrate all such persons,

(d) to seize all things which are reasonably suspected to have been used or intended to be used for the purpose of gaming and which are found therein:

Provided that no officer shall be authorised by special warrant unless the Magistrate, or the District Superintendent of Police is satisfied, upon making such inquiry as he may think necessary, that there are good grounds to suspect the said house, room or place to be used as a common gaming-house.

5. Section 14 shall be omitted.

ANNEXURE

THE BOMBAY PREVENTION OF GAMBLING Act, 1887 AS IN FORCE IN THE STATE OF GUJARAT, AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR HAVELI.

(BOMBAY ACT NO. IV OF 1887)

An Act to consolidate and amend the law for the prevention of Gambling in the State of Bombay.

Preamble.—Whereas it is expedient to consolidate and amend the law for the prevention of gambling in the State of Bombay; It is enacted as follows :—

1. Short title.—This Act may be cited as the Bombay Prevention of Gambling Act, 1887.

Extent.—It extends to the whole of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

Commencement.—It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.

2. (Repeal of enactments) Rep. Act XVI of 1895.

3."Administrator" defined.—In this Act "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution.

"Gaming" defined.—In this Act "gaming" includes wagering or betting except wagering or betting upon a horse-race when such wagering or betting takes place—

(a) on the day on which such race is to be run, and

(b) in an enclosure which the licensee of the race-course, on which such race is to be run, has set apart for the purpose under the terms of the licence issued in respect of such race-course, and

(c) between any intlividual in person, being present in the enclosure, on the one hand, and such licencsee or other person licensed by such licensee in terms of the aforesaid licence on the other hand or between any number of individuals in person in such manner and by such contrivance as may be permitted by such licence;

but does not include a lottery.

Any transaction by which a person in any capacity whatever employs another in any capacity whatever or engages for another in any capacity whatever to wager or bet whether with such licensee or with any other person shall be deemed to be "gaming" : Provided, nevertheless, that such licensee may employ, servants and persons may accept service with such licensee, or wagering or betting in such manner or by such contrivance as may be permitted in such licence. The collection or soliciting of bets, receipt or distribution of winnings or prizes in money or otherwise in respect of wagering or betting or any act which is intended to aid or facilitate wagering or betting or such collection, soliciting, receipt or distribution shall be deemed to be "gaming".

"Instruments of gaming" defined.—In this Act the expression "instruments of gaming" includes any article used or intended to be used as a subject or means of gaming any documents used or intended to be used as a register or record or evidence of any gaming the proceeds of any gaming, and any winnings or prizes in money or otherwise distributed or intended to be distributed in respect of any gaming.

In this Act, 'Common gaming-house' means—

(i) in the case of gaming, —

"Common gaming house" defined.—(a) on the market price of cotton, opium or other commodity or on the digits of the number used in stating such price, or

(b) on the amount of variation in the market price of any such commodity or on the digits of the number used in stating the amount of such variation, or

(c) on the market price of any stock or share or on the digits of the number used in stating such price, or

(d) on the occurrence or non-occurrence of rain or other natural event, or

(e) on the quantity of rainfall or on the digits of the number used in stating such quantity, or

(f) on the digits or figures used in stating the opening, middle or closing digits or figures declared for or in connection with Worli Matka gaming or any other form of gaming;

any house, room or place whatsoever in which such gaming takes place or in which instruments of gaming are kept or used for such gaming;

(ii) in the case of any other form of gaming, any house, room or place whatsoever in which any instruments of gaming are kept or used for the profit or gain of the person owning, occupying using or keeping such house, room or place by way of

charge for the use of such house, room or place or instrument or otherwise howsoever.

'Place defined'.—In this Act, "place" includes a tent, enclosure, space, vehicle and vessel.

3A Punishment for printing or publishing digits or figures relating to Worli Matka or other form of gaming.—(1) Whoever prints or publishes in any manner whatsoever any digits or figures or combination of digits or figures relating to Worli Matka or any other form of gaming under the heading "Shubha Rashi" or by adopting any other form or device, or disseminates or attempts to disseminate or abets dissemination of information relating to such digits or figures or combination of digits or figures shall be punishable with imprisonment which may extend to six months and with fine which may extend to one thousand rupees.

(2) Where any person is accused of an offence under Sub-section (1), any digits or figures or combination of digits or figures in respect of which the offence is alleged to have been committed shall be presumed to relate to Worli Matka gaming or some other form of gaming unless the contrary is proved by the accused.

4. Keeping common gaming house.—Whoever —

(a) opens keeps or uses any house, room or place for the purpose of a common gaming-house,

(b) being the owner or occupier of any such house, room or place knowingly or wilfully permits the same to be opened, occupied, kept or used by any other person for the purpose aforesaid,

(c) has the care or management of, or in any manner assists in conducting the business of, any such house, room, or place opened, occupied, kept or used for the purpose aforesaid,

(d) advances or furnishes money for the purpose of gaming with persons frequenting any such house, room or place,

shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to six months and with fine:

Provided that —

(a) for a first offence such imprisonment shall not be less than one month and fine shall not be less than two hundred rupees;

(b) for a second offence such imprisonment shall not be less than three months and fine shall not be less than two hundred rupees; and

(c) for a third or subsequent offence such imprisonment shall not be less than six months and fine shall not be less than two hundred rupees.

5. Gaming in common gaming house.—Whoever is found in any common gaming-house gaming or present for the purpose of gaming, shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to six months and with fine:

Provided that—

(a) for a first offence such imprisonment shall not be less than one month and fine shall not be less than two hundred rupees;

(b) for a second offence such imprisonment shall not be less than three months and fine shall not be less than two hundred rupees; and

(c) for a third or subsequent offence such imprisonment shall not be less than six months and fine shall not be less than two hundred rupees.

Any person found in any common gamig-house during any gaming therein shall be presumed, until the contrary is proved, to have been there for the purpose of gaming.

5A. Seizure of register, record or writing by certain police officer.—Where —

A police officer not below the rank of a Deputy Superintendent of Police, is of the opinion that any register, record or writing of any kind whatsoever which contains digits or figures or combination of digits or figures relates to Worli Matka gaming or some other form of gaming, he shall be entitled to seize the same, and such register, record or writing shall be presumed to be an instrument of gaming unless it is shown by the person from whom it is seized that it is a register, record or writing of any transaction in connection with a lawful trade, industry, business, profession or vocation or of any lawful personal transaction of any person or it is otherwise not an instrument of gaming.

6. Entry, search etc. by police officers in gaming.—(1) It shall be lawful for a Police Officer not below the rank of a Sub-Inspector of Police authorised by special warrant issued in each case by a District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or by a First Class Magistrate specially empowered by the Administrator in this behalf or by a District Superintendent of Police —

(a) to enter, with the assistance of such persons as may be found necessary, by night or by day, and by force, if necessary, any house, room or place which he has reason to suspect is used as a common gaming-house,

(b) to search all parts of the house, room or place which he shall have so entered, when he shall have reason to suspect that any instruments of gaming are concealed therein, and also the persons whom he shall find therein whether such persons are then actually gaming or not,

(c) to take into custody and bring before Magistrate all such persons,

(d) to seize all things which are reasonably suspected to have been used or intended to be used for the purpose of gaming and which are found therein :

Provided that no Officer shall be authorised by Special warrant unless the Magistrate, or the District Superintendent of Police is satisfied, upon making such inquiry as he may think necessary, that there are good grounds to suspect the said house, room or place to be used as a common gaming-house.

(2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force no search made under this section shall be deemed to be illegal by reason only of the fact that the witness (if any) of the search were not inhabitants of the locality in which the house, room or place searched is situate.

6A. Punishment for giving false names and addresses.—If any person found in any common gaming house, entered by any Magistrate or Officer of Police under the provisions of this Act, upon being arrested by any such officer or upon being brought before any Magistrate, and on being required by such Officer or Magistrate to give his name and address refuses or neglects to give the same or gives any false name or address, he shall, on conviction, be punished with a fine not exceeding one thousand rupees and on the non-payment of such fine, or in the first instance if to the Court passing the sentence it shall seem fit, with imprisonment for a period not exceeding four months.

7. Presumptive proof of keeping or gaming in common gaming house.—When any instrument of gaming has been seized in any house, room or place entered under section 6 or about person of any one found therein, and the case of any other thing so seized if the court is satisfied that the Police Officer who entered such house, room or place had reasonable grounds for suspecting that the thing so seized was an instrument of gaming, the seizure of such instrument or thing shall be evidence, until the contrary is proved, that such house, room or place is used as a common ggaming house and the persons found-therein were then present for the purpose of gaming, although no gaming was actually seen by the Magistrate or the Police Officer or by any person acting under the authority of either of them :

Provided that the aforesaid presumption shall be made, notwithstanding any defect in the warrant or order in pursuance of which the house, room or place was entered under section 6, if the Court considers the defect not to be a material one.

8. On conviction for keeping or gaming in common gaming house, Instruments of gaming may be destroyed.—On conviction of any person for opening, keeping or using a common gaming-house, or gaming therein, or being present therein for the purpose of gaming, the convicting Magistrate may order all the instruments of gaming found therein or on the persons of those who were found therein, to be fourthwith destroyed or forfeited, and may also order all or any of the securities for money and other articles seized, not being instruments of gaming, to be sold and the proceeds thereof, with all moneys seized therein, to be forfeited; or, in his discretion, may order any part of such proceeds and other moneys to be paid to any person appearing to be entitled thereto.

9. Proof of playing for money not required for conviction.—It shall not be necessary, in order to convict a person of any offence against any of the provisions of sections 4 and 5, to prove that any person found gaming was playing for any money, wager or stake.

10. Indemnification of certain witnesses.—Any person who has been concerned in gaming contrary to this Act, and who is examined as a witness before a Magistrate in the trial of any person for a breach of any of the provisions of this Act relating to gaming, and who, upon such examination, makes in the opinion of the Magistrate true and faithful discovery to the best of his knowledge of all things as to which he is so examined, shall thereupon receive from the said Magistrate a certificate in writing to that effect and shall be freed from all prosecutions under this Act for anything done before that time in respect of such gaming.

12. Power to arrest without warrant for gaming and setting birds and animals to fight in public streets.—A Police Officer may apprehend and search without warrant—

(a) any person found gaming or reasonably suspected to be gaming in any public street, or thoroughfare, or in any place to which the public have or are permitted to to have access or in any race-course;

(b) any person setting any birds or animals to fight in any public street, or thoroughfare, or in any place to which the public have or are permitted to have access;

(c) any person there present aiding and abetting such public fighting of birds and animals.

Any such person shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to three hundred rupees, and with imprisonment which may extend to three months and where such gaming consists or wagering or betting or of any such transaction as is referred to in the definition of gaming given in section 3, any such person so found gaming shall, on conviction, be punishable in the manner and to the extent referred to in section 4, and all moneys found with such person shall be forfeited.

Seizure and destruction of instruments found.—And such Police-Officer may seize all birds and animals and things reasonable suspected to be instruments of gaming found in such public street thoroughfare, place or race-course, or on or about the person of those whom he shall so arrest, and the Magistrate may, on conviction of the offender, order such instruments to be forthwith destroyed, and such birds and animals to be sold and the proceeds forfeited. When any thing has been found on or about any person and a court is satisfied that the

Police-Officer had reasonable grounds for suspecting that such thing was an instrument of gaming, such circumstance shall, until the contrary is proved, be evidence that such thing was an instrument of gaming and that the person on or about whom the thing was found was present for the purpose of gaming.

12A. Power to arrest without warrant for printing, publishing or distributing any news or information.—A Police-officer may apprehend without warrant any person who prints, publishes, sells, distributes or in any manner circulates any news-paper, news-sheet or other document of any news or information with the intention of aiding or facilitating gaming.

Any such person shall, on conviction, be punishable in the manner and to the extent referred to in section 4.

And any police officer may enter and search any place for the purpose of seizing, and may seize all things reasonably suspected to be used or to be intended to be used, for the purpose of committing an offence under this section.

13. Saving games of mere skill.—Nothing in this Act shall be held to apply to any game mere skill wherever played.

[No. U-11015/7/73-UTL (164)]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.

IndiaCode

1595 GI/84—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985